बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक–22.04.2015 की कार्यवाही ।

....

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यावली के अनुरूप बैठक आरम्भ करने का निदेश दिया गया ।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 3 के अन्तर्गत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड का गठन किया गया है । इस अधिनियम का उद्देश्य बिहार राज्य में शहरी क्षेत्रों और वैसे ग्रामीण क्षेत्रों, जो शहरीकरण की क्षमता रखते हों, का योजनाबद्ध विकास करना हैं । अधिनियम की धारा 9 में राज्य सरकार को आयोजना क्षेत्रों की घोषणा करनी है, जो बोर्ड के परामर्श से होना है ।

यह भी अवगत कराया गया कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 81 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 अधिसूचित की जा चुकी है ।

बैठक में सभी पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

1. आयोजना क्षेत्रों का गठन :– प्रथम चरण में राज्य के सभी 11 नगर निगमों, छपरा तथा सहरसा प्रमण्डलीय मुख्यालयों (जो नगर निगम नहीं हैं) तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों– राजगीर एवं बोधगया के योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए आयोजना क्षेत्र गठित किये जाएँ ।

2. आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के अलावा वैसे ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किये जाने हैं जो शहरीकरण की क्षमता रखते हैं । तदनुसार आगामी बैठक में ऐसे मापदण्डों का प्रारूप उपलब्ध कराया जाए जो आयोजना क्षेत्रों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में माने जा सकें । यह सुझाव आया कि इस हेतु नगर क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व, उन क्षेत्रों के ऐतिहासिक, पर्यटक एवं धार्मिक महत्व आदि पर विचार किया जा सकता है । देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनायी जा रही नीतियों का भी अध्ययन किया जाए ।

3. बोधगया शहरी आयोजना एवं विकास प्राधिकार तथा राजगीर शहरी आयोजना एवं विकास प्राधिकार के गठन का प्रस्ताव संलग्न अनुलग्नक–1 एवं 2 पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी जिसके मुख्य अवयव निम्नवत् हैं :–

		राजगीर	बोधगया
(क) प्रस्तावित कुल जनसंख्या	:–	415111	100672
(ख) प्रस्तावित शहरी क्षेत्र	:–	02	01
(ग) प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्र	:–	38	33
(घ) क्षेत्रफल	:–	517 वर्ग कि0मी0	83.75 वर्ग कि0मी0

4. बोर्ड ने यह महसूस किया कि आयोजना क्षेत्र में किसी भी ग्राम पंचायत या नगर क्षेत्र को शामिल करने से पहले उस क्षेत्र के निवासियों की राय जानने के प्रयोजन से प्रारूप प्रकाशित कराकर उस पर सुझाव लिया जाना चाहिए और तदोपरान्त उसका निष्पादन करने के उपरान्त प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए । तदनुसार बोधगया एवं राजगीर से सम्बन्धित प्रस्ताव को प्रारूप के रूप में प्रकाशित किया जाए एवं दो महीने की अवधि में जनसाधारण से सुझाव माँगे जाएँ । प्रारूप प्रकाशन एवं सुझाव आमंत्रित करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी की होगी । जिला पदाधिकारियों से उक्त प्रक्रिया के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर बोर्ड सचिवालय द्वारा आवश्यक विचार कर बोर्ड की अगली बैठक में विचारार्थ उपस्थापित किया जाए ।

5. बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आयोजना प्राधिकार का कार्यालय विधिवत् स्थापित किया जाए तथा उसके लिए कर्मियों की संख्या का आकलन कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाए ।

6. राज्य में सुनियोजित शहरी विकास अत्यन्त उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है । तदनुसार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाए ।

ह0/–

(एस0 के0 नेगी)
विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड।

ज्ञापांक – 11/न०नि०(मा०प्लान)–01/2013..246.. न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक–..29.04.15

प्रतिलिपि –कृषि उत्पादन आयुक्त,
प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग,

प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज,
प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण और वन विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग,
सचिव, विधि विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, युवा कला एवं संस्कृति विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग ,
प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग,
प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ,
महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी,
मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग,
जिला पदाधिकारी नालन्दा (विशेष आमंत्रित),
जिला पदाधिकारी गया (विशेष आमंत्रित)
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत राजगीर,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत सिलाव,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बोधगया,
विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

अनु०–1 एवं 2।

28.4.15

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(अनुलग्नक- 1)

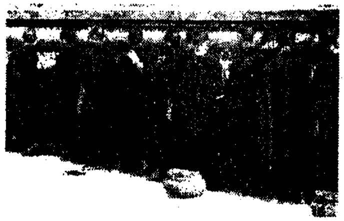

BODHGAYA PLANNING AREA

(Delineation and Declaration)

TOWN & COUNTRY PLANNING ORGANISATION

URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT

Patna, Bihar

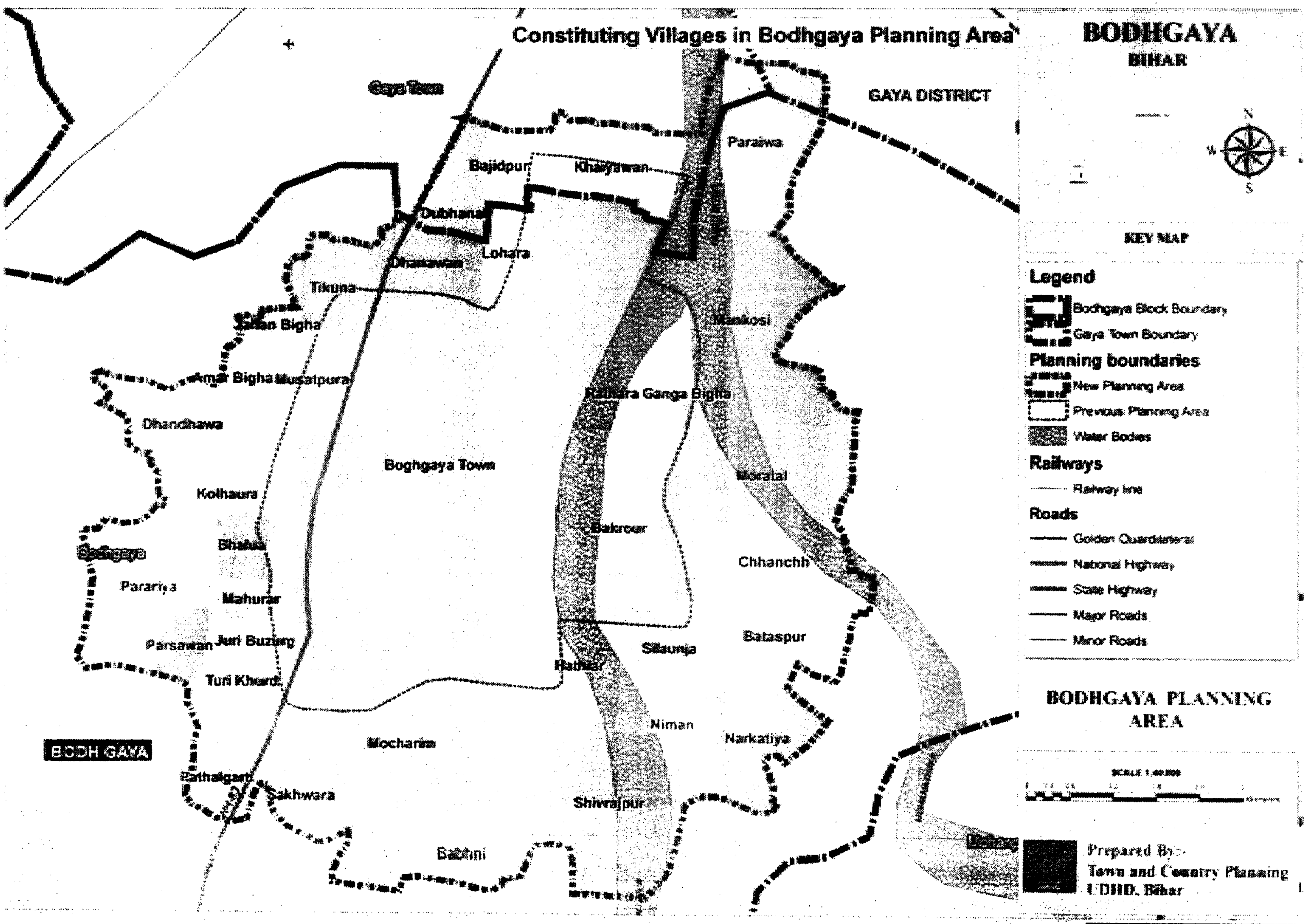
Constituting Villages in Bodhgaya Planning Area
Gaya Town
GAYA DISTRICT
Paraiwa
Bajidpur
Khaiyawan
Dubhanai
Lohara
Tikuna
Amar Bigha
Musatpura
Dhandhawa
Boghgaya Town
Kolhaura
Bhalua
Pararrya
Mahurar
Parsawan
Juri Buzurg
Turi Khurd
Chhanchh
Moratal
Bakrour
Silaunja
Bataspur
Niman
Narkatiya
Mocharim
Rathalgarh
Sakhwara
Shivrajpur
Bakhni
BODH GAYA
BODHGAYA
BIHAR
KEY MAP
Legend
Bodhgaya Block Boundary
Gaya Town Boundary
Planning boundaries
New Planning Area
Previous Planning Area
Water Bodies
Railways
Railway line
Roads
Golden Quardilateral
National Highway
State Highway
Major Roads
Minor Roads
BODHGAYA PLANNING AREA
Prepared By:-
Town and Country Planning
UDHD, Bihar

Delineation of Bodhgaya Planning Area

- The total area of the Proposed Bodhgaya Planning Area has an area of **83.75 sq.km**
- There are **33 revenue villages** (63.55 sq.km) included in the proposed area. Bodhgaya Nagar Panchayat (20.2sq.km) is the only Urban Administrative Unit in the area.
- The proposed planning area shares its boundary with

1. North: Starting from east, Mankosi of Gaya CD Block to villages of Gaya CD Block namely Khaiyawan, Bajidpur and Dubhanal (part) upto villages of Bodhgaya CD Block; Dhanawan and Tikuna on the west
2. South: On the east, from Narkatiya, Shivrajpur, Bhabni to Sakhwara and Turi Khurd of Bodhgaya CD Block
3. East: On the northside; Mankosi, Chhanchh of Bodhgaya CD Block to Bataspur and Narkatiya
4. West: Jahan Bigha, Amar Bigha on the north to Pathalgarh of Bodhgaya CD Block on the south

Constituents of Bodhgaya Planning Area

Sl. No.	C.D. Blocks	No. of Revenue Villages	Rural Area (sq.km)	No. of Urban Administrative Units*	Urban Area (sq.km)	Total Planning Area (sq.km)
1	Bodhgaya	30	59.22	1	20.20	79.42
2	Gaya	3	4.35	0	-	4.35
	Total	**33**	**63.55**	**1**	**20.20**	**83.75**

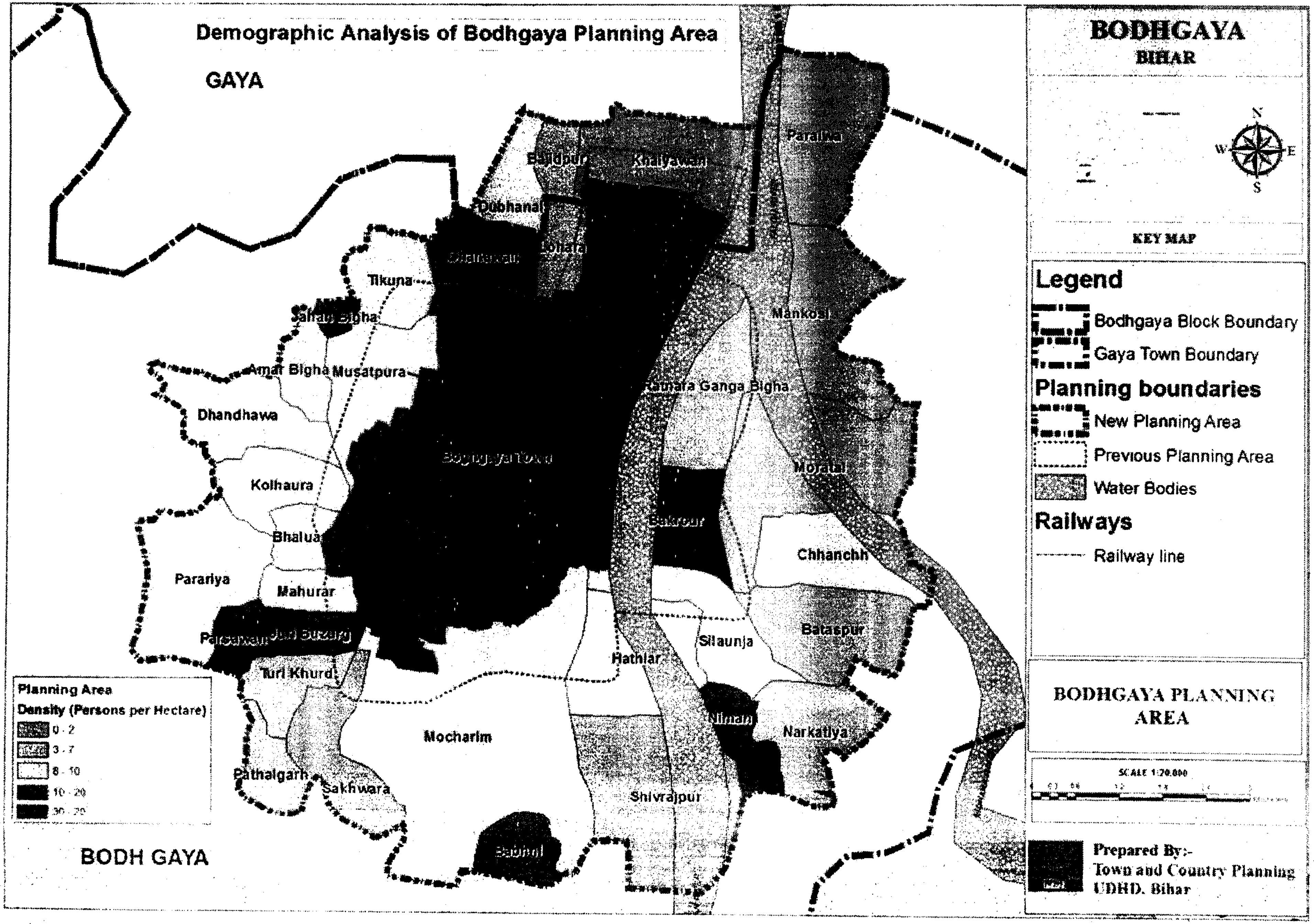

Demographic Analysis of Bodhgaya Planning Area
GAYA
BODHGAYA
BIHAR
KEY MAP
Legend
Bodhgaya Block Boundary
Gaya Town Boundary
Planning boundaries
New Planning Area
Previous Planning Area
Water Bodies
Railways
Railway line
BODHGAYA PLANNING AREA
Prepared By:-
Town and Country Planning
UDHD, Bihar
Planning Area
Density (Persons per Hectare)
0 - 2
3 - 7
8 - 10
Bodhgaya Town
Dubhanali
Khaiyawan
Paraiya
Mankosi
Tikuna
Amar Bigha
Musatpura
Dhandhawa
Kolhaura
Bhalua
Parariya
Mahurar
Turi Khurd
Pathalgarh
Sakhwara
Mocharim
Chhanchh
Bataspur
Silaunja
Hathiar
Narkatiya
Shivrajpur
BODH GAYA

Constituent villages of Bodhgaya Planning area, Census 2011

Block	VILL_NAME	AREA (Ha.)	POP 2011
Bodhgaya	Amar Bigha	85	807
	Jahan Bigha	20.9	759
	Dhanawan	146	2240
	Tikuna	132	1758
	Musatpura	184	2229
	Ratnara Ganga Bigha	304	2465
	Bakraur	246	3798
	Turi Buzurg	93	1508
	Mahurar	62	783
	Bhalua	75	809
	Kolhaura	156	1510
	Dhandhawa	199	2060
	Lohara	73	0
	Parariya	295	2790
	Parewa	289	1983
	Parsawan	62	593
	Sakhwara	82	0
	Pathalgarh	70	981
	Turi Khurd	119	668
	Mocharim	1165	9808
	Babhni	97	1486
	Narkatiya	101.57	1671
	Niman	263	1777
	Shivrajpur	37	1555
	Hathiar	241	2867
	Silaunja	199	1785
	Bataspur	211	2099
	Chhanchh	240	2216
	Moratal	324	2115
	Mankosi	350	2867
Total (30 villages)		**5919.47**	**57987**
Bodhgaya Nagar Panchayat		**2020.43**	**38439**
Total for the Block		**7939.9**	**96426**
Gaya	Dubhanal (part)	104.13	995
	Khaiyawan	273.62	2839
	Bajidpur	57.44	412
Total (3 villages)		**435.19**	**4246**
Grand Total (33 villages)		**8375.09**	**100672**